

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक-2897-पीबीआर/12

जिला-विदिशा

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों आदि के
हस्ताक्षर

29-10-14

आवेदक की ओर से श्री अनोज गुप्ता, अभि. पूर्व पेशियों पर उपस्थित होते रहे हैं, किन्तु आज अनुपस्थित हैं। उन्हें समय समय पर तीन बार पुकार लगाई गई, उसके बाद भी कोई उप. नहीं हुआ।

अतः आवेदक अभि. की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।


सदस्य

समक्ष माननीय सदस्य म.प्र. राजस्व मण्डल सर्किट केम्प भोपाल

- 1) सूरज बाई बेबा स्वः बाबूलाल मैना
- 2) संतोष मैना
- 3) सोमत सिंह उर्फ हल्के
पुत्र गज स्वः बाबूलाल मैना
निवासी गण ग्राम बल्लाखेड़ी
तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.)



R - 2897-281412

C.F. 11.9.12

विरुद्ध

आवेदकगण

- 1) फूल बाई पत्नी धीरत मैना
निवासी ग्राम बल्लाखेड़ी
तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.)
- 2) सुषमा उर्फ सुम्मो बाई पत्नी
जसबन्त सिंह मैना निवासी
ग्राम बालाबरखेड़ा तहसील
हुजूर, जिला विदिशा (म.प्र.)

अधीनस्थ
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

अनावेदिकागण

आयुक्त कार्या.
भोपाल केम्प घर
ठाक दिनांक 14-8-12
का प्रस्तुत।

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण, विदान अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 368/A/11-12 में पारित आदेश दिनांक 11/05/2012 से दुःखी एवं असंतुष्ट होकर आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने दिनांक से निर्धारित समयावधि में निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदिका क्र.-1 ने अधीनस्थ तहसील न्यायालय तहसील विदिशा के नामांतरण पंजी क्रमांक 13 के आदेश दिनांक 28/05/93 के विरुद्ध अपील दिनांक 06/07/09 को अधीनस्थ न्यायालय उप खंड अधिकारी विदिशा के न्यायालय में प्रस्तुत की तथा अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन में दर्शाया कि मृतक बाबूलाल जो कि आवेदकगण के पिता थे। उनकी भूमि तीन ग्राम में थी अर्थात्

क
21-8-12